Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Supply Revision No.- 269/2022

Udga Hansada & Ors ..... Petitioners.

Versus

The State of Bihar & Ors ..... Opposite Parties.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	29.09.2023	**आदेश** प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद न्यायालय, समाहर्त्ता, किशनगंज द्वारा आपूर्त्ति अपील वाद सं0–05/2020 में दिनांक–16.10.2021/07.05.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है। उभय पक्षों को सुना। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदकगण ग्राम–सुखुआडाली, थाना–ठाकुरगंज, जिला–किशगनंज के निवासी हैं जो समाहर्त्ता के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद दायर किये हैं। विपक्षी द्वितीय पक्ष चितरंजन सिंह जनवितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति सं0–42TH/2016 के धारक हैं जो सक्षम एवं योग्य नहीं हैं। इनके कार्यशैली के विरूद्ध ग्रामीण एवं उपभोक्ताओं द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज को लिखित परिवाद समर्पित किया गया। उक्त के आलोक में प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आलोक में अनुज्ञप्तिधारी से कारणपृच्छा की माँग की गई। इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण तथा उपभोक्ताओं के दर्ज बयान के साथ समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा विपक्षी द्वितीय पक्ष की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई। उक्त आदेश के विरूद्ध उनके द्वारा समाहर्त्ता, किशनगंज के समक्ष उक्त अपील दायर किया गया जिसे स्वीकृत कर दिया गया। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित तार्किक एवं सही आदेश को समाहर्त्ता द्वारा अवैध रूप से नये वाद में परिवर्तित करते हुए आदेश पारित किया गया। आवेदकगण उक्त जनवितरण प्रणाली दुकान के उपभोक्ता हैं जो विपक्षी सं0–05 (डीलर) से काफी परेशान हैं। डीलर द्वारा न तो कभी भी समय पर दुकान खोला जाता है और न ही सही मात्रा में खाद्यान्नों का वितरण किया जाता है। विपक्षी सं0–05 का छोटे व्यवसायियों से संबंध है जिन्हें कालाबाजारी में खाद्यान्नों की बिक्री की जाती है। पीड़ित उपभोक्ताओं को अपील दायर करने का अधिकार है। उक्त डीलर की जगह किसी अन्य डीलर की नियुक्ति की	

Web Copy Not Official.

		जाय ताकि उपभोक्ताओं को भविष्य में कोई परेशानी नहीं हो। इस प्रकार इनकी ओर से निम्न न्यायालय आदेश को निरस्त करते हुए पुनरीक्षण वाद को स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। क्रमशः	
	लगातार 29.09.2023	दूसरी तरफ विपक्षी द्वितीय पक्ष चितरंजन सिंह के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद तथ्यों एवं कालबाधित तथा पक्षकार दोषग्रसित होने के आधार पर पोषणीय नहीं है। आवेदकों को पुनरीक्षण वाद दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। विपक्षी सं0–05 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज के आदेश ज्ञापांक–396 / ANU AA दिनांक–04.05.2020 के विरूद्ध समाहर्त्ता, किशनगंज के समक्ष उक्त अपील दायर किया गया जिसमें उभय पक्षों की सुनवाई करते हुए किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाकर अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश को निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार इनकी ओर से प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद को अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज ने पत्रांक–ज्ञापांक–159 दिनांक–27.02.2023 द्वारा प्रत्युत्तर समर्पित करते हुए स्पष्ट किया है कि विपक्षी द्वितीय पक्ष चितरंजन सिंह, जनवितरण प्रणाली विक्रेता के विरूद्ध District Grain Dispatch Group से प्राप्त शिकायत के आलोक में प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, ठाकुरगंज द्वारा भौतिक निरीक्षण किया गया जिसमें 20 उपभोक्ताओं द्वारा राशन कार्ड दिखाते हुए बयान दर्ज कराया गया कि राशन कार्ड में प्रविष्ट खाद्यान्न का वजन जब उनके द्वारा घर पर किया जाता है तो 2–3 Kg वजन कम पाया जाता है एवं अंत्योदय कार्डधारियों द्वारा बताया गया कि उन्हें 2 Kg गेहूँ कम दिया जाता है। प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी ने पत्रांक–78 दिनांक–24.04.2020 द्वारा जाँच प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज को सौंपी गई। उक्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा चितरंजन सिंह से ज्ञापांक–337 दिनांक–24.04.2020 द्वारा कारणपृच्छा की माँग की गई। उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाते हुए ज्ञापांक–396 दिनांक–04.05.2020 द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई। उक्त आदेश के विरूद्ध डीलर द्वारा समाहर्त्ता, किशनगंज के समक्ष अपील दायर की गई। समाहर्त्ता द्वारा प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, ठाकुरगंज से जाँच प्रतिवेदन की माँग किये जाने के आलोक में उन्होंने पत्रांक–243 दिनांक–11.10.2021 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया जिसमें उन्होंने प्रतिवेदित किया कि PDS डीलर द्वारा उचित मात्रा एवं मूल्य पर खाद्यान्नों की आपूर्त्ति की जाती है तथा उपभोक्ताओं से उनका व्यवहार अच्छा है। इस आधार पर समाहर्त्ता, किशनगंज द्वारा उक्त अपील को स्वीकृत किया गया। आवेदक उदगा हाँसदा एवं अन्य द्वारा PDS डीलर के विरूद्ध पुनः उक्त शिकायतों के साथ परिवाद पत्र समर्पित किया गया जिसे प्रखंड विकास पदाधिकारी / प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, ठाकुरगंज को जाँच हेतु प्रेषित किया गया। पत्रांक–152 दिनांक–10.10.2022 द्वारा समर्पित संयुक्त जाँच	

Web Copy Not Official.

		प्रतिवेदन में शिकायत सही नहीं पायी गई। इस प्रकार इनकी ओर से पुनरीक्षण वाद अस्वीकृत करने योग्य बताया गया है। उभय पक्षों को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि जनवितरण प्रणाली विक्रेता विपक्षी द्वितीय पक्ष (चितरंजन सिंह) के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के आलोक में तत्कालीन प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, ठाकुरगंज के पत्रांक–78 दिनांक–24.04.2020 द्वारा समर्पित भौतिक जाँच प्रतिवेदन के आलोक क्रमशः	
	लगातार 29.09.2023	में अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा प्रक्रियाओं को अनुपालित करते हुए आरोपों की पुष्टि होने के आधार पर उनकी अनुज्ञप्ति सं0–42TH/2016 को आदेश ज्ञापांक–396 दिनांक–04.05.2020 द्वारा रद्द की गई। उक्त के विरूद्ध समाहर्त्ता, किशनगंज द्वारा संदर्भित अपील वाद में पुनः प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, ठाकुरगंज से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश को निरस्त किया गया। उल्लेखनीय है कि निम्न न्यायालय द्वारा किसी वरीय पदाधिकारी से जाँच करायी जानी चाहिए थी, क्योंकि समान स्तर के पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन परस्पर विरोधाभाषी हैं जिसके आधार पर निर्णय लिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ताओं के बीच खाद्यान्नों के वितरण में दस्तावेजीय साक्ष्यों से अनियमितितायें परिलक्षित एवं प्रमाणित है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों यथा–ग्राम पंचायत सखुआडाली, ठाकुरगंज के मुखिया, सरपंच एवं कई ग्रामीण तथा उपभोक्ताओं द्वारा समय–समय पर जिला पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज को डीलर की अनियमितताओं के संबंध में समर्पित आवेदन जिसे डॉ0 मो0 जावेद, सांसद 10–किशनगंज एवं विधायक 53–ठाकुरगंज द्वारा अग्रसारित किये जाने से उक्त डीलर के मनमाने रवैये की पुष्टि होती है। अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि आदिवासी बाहुल क्षेत्र में अनुज्ञप्तिधारी से उपभोक्तागण काफी परेशान हैं। ऐसे जनवितरण प्रणाली विक्रेता की अनुज्ञप्ति को बनाये रखना स्पष्टतः सामाजिक हित के प्रतिकूल है। निम्न न्यायालय द्वारा इन तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए आदेश पारित किया गया है जिसमें हस्तक्षेप की नितांत आवश्यकता है। अतः उपर्युक्त के आलोक में समाहर्त्ता, किशनगंज द्वारा दिनांक–16.10.2021/07.05.2022 को पारित आदेश को विधिसम्मत् एवं न्यायोचित नहीं पाते हुए निरस्त किया जाता है। अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज के आदेश ज्ञापांक–396 दिनांक–04.05.2020 को विधि अनुरूप पाते हुए संपुष्ट किया जाता है। पुनरीक्षण आवेदन स्वीकृत। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय मूल अभिलेख वापस भेजें। लेखापित एवं शुद्धित।	

Web Copy, Not Official.

		आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।

Web Copy. Not Official.